

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

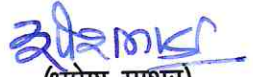
क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एम-2560/2013)/अलेसे-III/719-720

दिनांक :- 14.7.2022

कार्यालय आदेश

श्री मुकेश टेलर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोषाधिकारी, नावां सिटी (नागौर) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 06.07.2022 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 06.07.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एम-2560/2013)/अलेसे-III/719-720
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 14.7.2022

1. उपकोषाधिकारी, नावां सिटी (नागौर)।
2. श्री मुकेश टेलर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोषाधिकारी, नावां सिटी (नागौर)।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)